THINK IAS JOIN SAMYAK

Samyak
An Institute For Civil Services

DAILY CURRENT नामा

1 अगस्त

9875170111
SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

मुख्य परीक्षा से संबंधित

फेफड़े का कैंसर

सुर्खियों में क्यों ?

- फेफड़ों का कैंसर आज के समय की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है।
- 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस मनाया जाता है। यही से जोखिम कारकों को समझने और शीघ्र पता लगाने के महत्व पर जोर डाला गया।

चिंता का विषय क्यों ?

- फेफड़ों का कैंसर सबसे आम तौर पर पाया जाने वाला कैंसर है और दुनिया भर में कैंसर से संबंधित मौतों का प्रमुख कारण है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, भारत में फेफड़ों के कैंसर की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, जो कैंसर से होने वाली मौतों में 10% का योगदान देता है।
- फेफड़ों के कैंसर के मामलों में भारत दुनिया भर में चौथे स्थान पर है, जहाँ 2022 में 81,000 मामले और 75,000 मौतें दर्ज की गई हैं। 2025 तक यह संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है।
- भारत में, फेफड़े के कैंसर का पता अक्सर स्टेज 3 या 4 में चलता है, जिससे यह लाइलाज हो जाता है और इससे बचने की दर कम हो जाती है। यह देरी अक्सर अपर्याप्त स्क्रीनिंग, संसाधन की कमी, संरचित रेफरल सिस्टम की कमी और टीबी के उच्च बोझ के कारण होती है। इन कारकों के कारण प्राथमिक देखभाल चिकित्सक फेफड़े के कैंसर को पहचान नहीं पाते हैं।
- भारत में कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग रूपरेखाएँ हैं, लेकिन फेफड़े के कैंसर को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है।

जोखिम कारक और कारण

- **धूम्रपान और वायु प्रदूषण**
  - तम्बाकू (सिगरेट, बीड़ी, सिगार) का सेवन फेफड़ों के कैंसर का प्राथमिक जोखिम कारक है।
  - बढ़ते प्रचलन का कारण वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी है। वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों में 2007 से लगभग 30% की वृद्धि हुई है। पार्टिकुलेट मैटर (PM10, PM2.5) और गैसें (सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड) जैसे हानिकारक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकते हैं।
- **अन्य कारक**
  - उत्तर भारत में, फेफड़ों के कैंसर के लगभग 40% रोगी धूम्रपान न करने वाले हैं।
  - धूम्रपान न करने वालों के लिए जोखिम कारकों में सेकेंड हैंड स्मोक के संपर्क में आना, व्यावसायिक खतरे (जैसे एस्बेस्टस, रेडॉन और कुछ रसायन), एवं वंशानुगत कैंसर सिंड्रोम शामिल हैं।

- धूम्रपान न करने वालों में फेफड़े का कैंसर अक्सर युवा व्यक्तियों को प्रभावित करता है।

समाधान और पहल –

- **सरकारी**

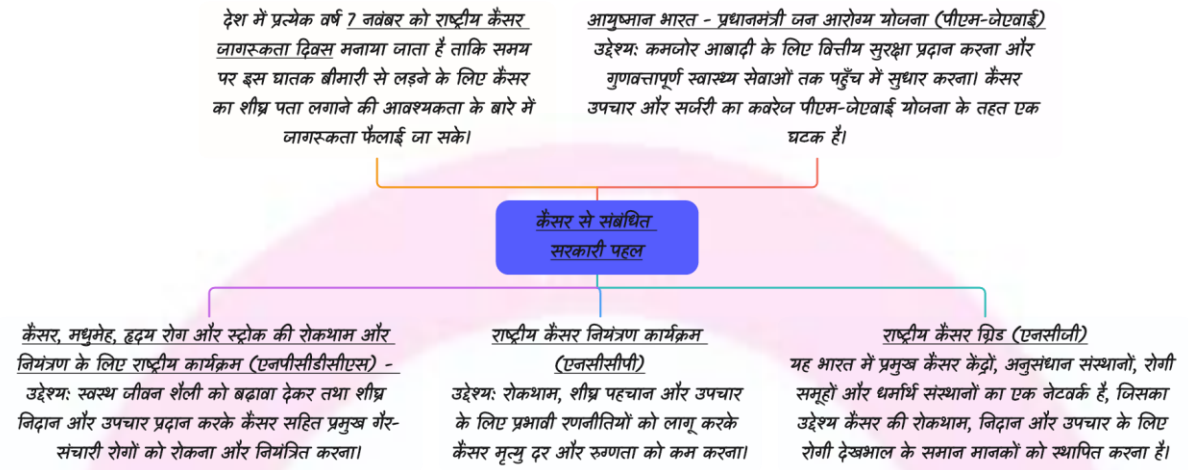

- **अंतर राष्ट्रीय**

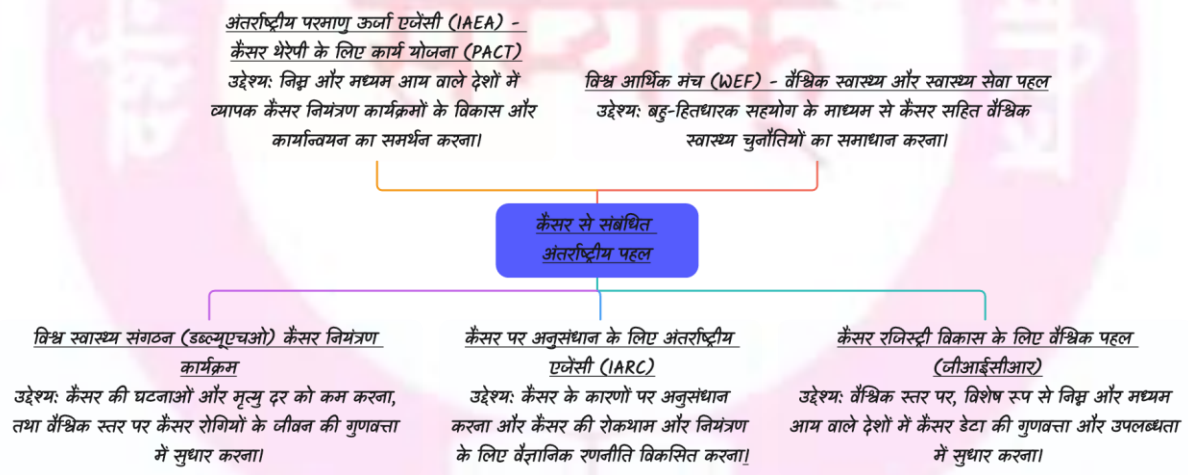

वैश्विक महामारी संधि पर संघर्ष

सुर्खियों में क्यों ?

- वर्षों की गहन राजनीतिक वार्ता और उच्च उम्मीदों के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 194 सदस्य देश ऐतिहासिक महामारी समझौते को अंतिम रूप देने में विफल रहे।
- इस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य वैश्विक महामारी की तैयारियों को मजबूत करना, रोकथाम तंत्र को लागू करना और COVID-19 महामारी के दौरान सामने आई विषमताओं को दूर करना था।

- *27 मई से 1 जून, 2024 तक जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया। हालाँकि, महामारी समझौते पर सहमति तक पहुँचने में विफलता ने इन उपलब्धियों को फीका कर दिया।*
- *इस सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आई.एच.आर.) 2005 में संशोधनों के पैकेज पर सहमति थी। IHR संशोधनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों (PHEIC) के लिए तैयार होने और उनका जवाब देने की देशों की क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही उद्देश्य महामारी आपातकाल (PE) नामक तत्काल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के लिए एक नई श्रेणी शुरू करना भी है। इसके अलावा स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान स्वास्थ्य उत्पादों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने पर भी यहाँ ध्यान केंद्रित किया गया है।*

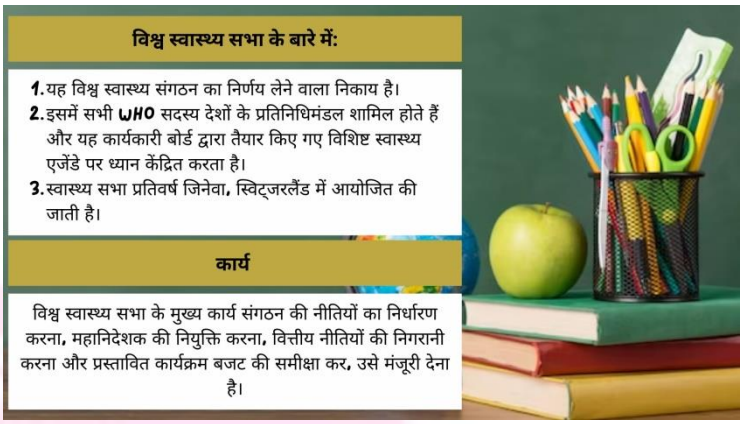

<u>वैश्विक महामारी संधि की आवश्यकता क्यों है?</u>

- ***समन्वय और सहयोग:*** *वैश्विक महामारी संधि देशों के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने और संसाधनों, डेटा और रणनीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से साझा करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगी।*
- ***मानकीकृत प्रोटोकॉल:*** *संधि निगरानी, परीक्षण, रिपोर्टिंग और उपायों के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल निर्धारित करेगी। इससे महामारी के प्रति अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।*
- ***वैक्सीन और उपचार वितरण:*** *कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक वैक्सीन और उपचार का असमान वितरण था। महामारी संधि में विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए वैक्सीन, निदान और उपचार तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के तंत्र शामिल हो सकते हैं।*
- ***रोगजनक पहुंच और लाभ साझाकरण :*** *संधि रोगजनक नमूनों और आनुवंशिक संसाधनों के साझाकरण को संबोधित कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन संसाधनों को प्रदान करने वाले देशों को पारस्परिक लाभ प्राप्त हो।*
- ***क्षमता निर्माण:*** *यह संधि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने में सहायता कर सकती है, जिससे वे स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों का बेहतर तरीके से पता लगा सकें और उनका समाधान कर सकें। इसमें स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे, कार्यबल प्रशिक्षण और रोग निगरानी प्रणालियों में निवेश शामिल है।*
- ***विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता:*** *यह संधि विकासशील देशों को प्रमुख स्वास्थ्य प्रणाली क्षमताओं के निर्माण और रखरखाव में सहायता देने के लिए वित्तीय तंत्र स्थापित कर सकती है।*

- ***प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा:*** *यह संधि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बना सकती है और बौद्धिक संपदा के मुद्दों को संबोधित कर सकती है, जिससे देश स्थानीय स्तर पर टीके और उपचार का उत्पादन कर सकेंगे। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और वैश्विक विनिर्माण क्षमताएँ बढ़ेंगी।*
- ***एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण:*** *यह संधि मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को ध्यान में रखते हुए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकती है। यह समग्र दृष्टिकोण जूनोटिक बीमारियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जो महामारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।*
- ***सक्रिय जोखिम प्रबंधन:*** *महामारी संधि सक्रिय जोखिम प्रबंधन पर जोर देगी, जिससे देश संभावित खतरों की पहचान कर सकेंगे और वैश्विक संकट बनने से पहले उनका समाधान कर सकेंगे।*

<u>चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ</u>

- ***प्रवर्तन और अनुपालन***
  - *अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक महत्वपूर्ण बाधा प्रवर्तन है। IHR के भीतर मजबूत अनुपालन तंत्र और जवाबदेही की कमी महामारी समझौते के कार्यान्वयन के बारे में चिंताएँ पैदा करती है।*
  - *इसके लिए प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP) कार्यान्वयन की निगरानी करके और हर पाँच साल में इसके कामकाज की समीक्षा करके इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।*
- ***चिकित्सा उत्पादों तक दीर्घकालिक और सतत पहुँच***
  - *महामारी समझौते का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में विविधता लाकर और क्षेत्रीय विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर चिकित्सा उत्पादों तक दीर्घकालिक और सतत पहुँच को बढ़ावा देना होना चाहिए।*

IHR में हाल ही में किए गए संशोधनों और चल रही महामारी समझौते की वार्ताओं के साथ, विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय कानून में अभूतपूर्व प्रगति की है। यह संधि न केवल अगली महामारी के लिए है, बल्कि यह एक अधिक न्यायसंगत और लचीली वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक खाके का काम भी करेगी।

प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित

चर्चा का विषय	***सुर्खियों में क्यों ?***	***अन्य महत्वपूर्ण जानकारी***
तरंग शक्ति	*भारतीय वायु सेना अगस्त और सितंबर में अब तक का अपना सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास 'तरंग शक्ति' आयोजित करने के*	***<u>'तरंग शक्ति' के बारे में</u>*** • *'तरंग शक्ति' अभ्यास देश की रक्षा शक्ति को प्रदर्शित करेगा और इसमें भाग लेने वाले अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और कई अन्य देशों की वायु सेनाओं के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करेगा। साथ ही यह रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को मजबूत बनाएगा।* • ***<u>उद्देश्य -</u>*** *जटिल हवाई अभ्यासों और मिशनों की एक श्रृंखला के माध्यम से भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर-*

	लिए पूरी तरह तैयार हैं।	*संचालन के साथ-साथ आपसी समझ को बढ़ावा देना।* • *भारत की ओर से एलसीए तेजस, मिराज 2000, राफेल, एलसीएच प्रचंड, ध्रुव और रुद्र भारत के स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए उड़ान भरेंगे।*
आपूर्ति श्रृंखला परिषद; IPEF आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता	*भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया*	***<u>आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना</u>*** • *भारत ने 13 अन्य हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ) भागीदारों के साथ मिलकर इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) समझौते के तहत तीन प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की है। यह कदम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारदेशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीन प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला निकाय निम्नलिखित हैं -* • ***आपूर्ति श्रृंखला परिषद (एससीसी):*** *इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना है।* • ***संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क (सीआरएन):*** *आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के लिए सामूहिक आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक मंच प्रदान करता है।* • ***श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड (एलआरएबी):*** *क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों और कार्यबल विकास को मजबूत करने के लिए श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों को एक साथ लाता है।* ***<u>निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष</u>*** • *बैठकों के दौरान, तीनों आपूर्ति श्रृंखला निकायों में से प्रत्येक ने दो वर्ष के कार्यकाल के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया:* • ***आपूर्ति श्रृंखला परिषद:*** *अमेरिका (अध्यक्ष) और **<u>भारत</u>** (उपाध्यक्ष)* • ***संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क:*** *कोरिया गणराज्य (अध्यक्ष) और जापान (उपाध्यक्ष)* • ***श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड:*** *अमेरिका (अध्यक्ष) और फिजी (उपाध्यक्ष)* ***<u>आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता</u>*** • ***<u>आरंभ</u>*** *- नवंबर 2023 में वाशिंगटन डी.सी. में हस्ताक्षरित। यह समझौता फरवरी 2024 से लागू है* • ***<u>उद्देश्य</u>*** *- IPEF आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और एकीकृत बनाना है। साथ ही, इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के आर्थिक विकास और प्रगति में*

		योगदान देना है। **आईपीईएफ के बारे में** • **शुरुआत** - 23 मई 2022 को टोक्यो, जापान में की गई • **शामिल देश** - 14 देश (ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, **भारत**, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका) • **उद्देश्य** - क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना। यह ढांचा व्यापार (स्तंभ I); आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II); स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III); और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV) से संबंधित चार स्तंभों के आसपास संरचित है। **भारत** आईपीईएफ के स्तंभ II से IV में शामिल हो गया है, जबकि इसने स्तंभ- I में पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वाहन किया है।
कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार	भारत ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गुजरात में "कानून, साइबर नीतियों और घटना शमन पर सूचनाओं के आदान-प्रदान" पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार के दूसरे संस्करण की मेजबानी की। सेमिनार का आयोजन भारत के **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय** ने **एनएफएसयू** के सहयोग से किया था।	**भागीदारी** • इस सेमिनार में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही, जिनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, श्रीलंका और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय शामिल थे। **कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के बारे में** • इसे **2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव** के एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में गठित किया गया था। • भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव के कारण 2014 के बाद इसमें रुकावटें आने लगी। • 2020 में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के रूप में इसके पुनरुद्धार और पुनः ब्रांडिंग के बाद से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पांचवीं बैठक में **चौथे सदस्य** के रूप में **मॉरीशस** को जोड़ा गया। • **बांग्लादेश** को वर्ष 2024 में ही **पांचवें सदस्य** राज्य के रूप में जोड़ा गया है। • **सेशेल्स** - **पर्यवेक्षक** के रूप में भाग लेता है। • सम्मेलन के तहत सहयोग पाँच स्तंभों पर केंद्रित है - समुद्री सुरक्षा और संरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का

		मुकाबला, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा, और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत। • *सभी गतिविधियों के समन्वय और एनएसए स्तर पर लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए 2021 में कोलंबो में स्थित एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गई थी।* 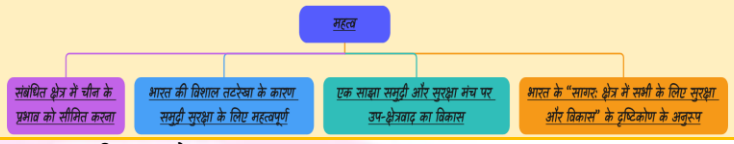
दालों के संबंध में आँकड़े	*केंद्र के हस्तक्षेप के बाद मोज़ाम्बिक से अरहर दाल का आयात फिर से शुरू हुआ।*	***महत्वपूर्ण आंकड़े*** • *भारत देश दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है।* • *परंतु फिर भी वो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। भारत की मजबूत उत्पादन क्षमताओं के बावजूद, आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए आयात आवश्यक है।* • *दालें खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का लगभग 20% हिस्सा हैं और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 7%-10% का योगदान देती हैं।* • *मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष पाँच दाल उत्पादक राज्य हैं।* • *हाल ही में, वित्त वर्ष 2024 में भारत का दालों का आयात 84% बढ़कर छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।* • *इन आयातों में **अरहर दाल** एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, जिसमें **मोज़ाम्बिक** एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। साथ ही **मलावी** भी एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।* • *मोज़ाम्बिक के **नकाला बंदरगाह** से अरहर दाल का आयात एक "भारत विरोधी" समूह की गतिविधियों के कारण बाधित हुआ था।* ***दालों के बारे में*** • ***आवश्यक तापमान:** 20-27 डिग्री सेल्सियस के बीच* • ***आवश्यक वर्षा:** लगभग 25-60 सेमी* • ***आवश्यक मिट्टी:** रेतीली-दोमट मिट्टी* • *प्रोटीन के प्रमुख स्रोत* • ***अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाया जाता है** - अरहर को छोड़कर सभी फसलें हवा से नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद करती हैं। इसलिए, इन्हें ज्यादातर अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाया जाता है।*

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर	*भारत सरकार छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) का अध्ययन और परीक्षण करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रही है।*	***छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) क्या हैं?*** • *एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी बिजली क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक होती है(यह पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक तिहाई है)।* ***विशेषता*** • ***छोटा:*** *भौतिक रूप से पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के आकार से बहुत छोटे।* • ***मॉड्यूलर:*** *प्रणालियों और घटकों को कारखाने में इकट्ठा करना और स्थापना के लिए एक इकाई के रूप में एक स्थान पर ले जाना संभव बन जाता है।* • ***रिएक्टर:*** *ऊर्जा उत्पादन हेतु ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन का उपयोग करते हैं।* 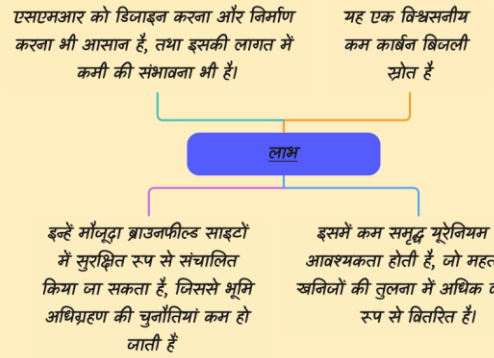 *परमाणु रिएक्टरों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है*
दीर्घावधि पूंजीगत	*बजट 2024 में*	***सूचीकरण (इन्डेक्सेशन) क्या है?***

लाभ की दर पर सूचीकरण (इन्डेक्सेशन)	*सभी परिसंपत्तियों पर अन्य दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की दर को बिना सूचीकरण (इन्डेक्सेशन) के 12.5% कर दिया गया गया है । यह दर पहले सूचीकरण के साथ 20% थी। इससे पूंजीगत लाभ के कराधान को सरल बनाने और उनकी गणना आसान करने में मदद मिलेगी।*	• *इंडेक्सेशन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग मुद्रास्फीति के हिसाब से किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने के लिए किया जाता है।* • *यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं पर बढ़ती कीमतों के कारण बढ़े हुए नाममात्र लाभ के बजाय वास्तविक लाभ पर कर लगाया जाए।* • *उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने 2001 में ₹10 लाख में घर खरीदा और 2021 में उसे ₹75 लाख में बेचा तो, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उन्हें ₹65 लाख का लाभ हुआ और उसी के अनुसार उन पर कर लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, यह आंकड़ा बिक्री के समय प्रचलित मूल्य स्तर और खरीद के समय प्रचलित मूल्य स्तर पर विचार नहीं करता है। यहीं पर लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) की भूमिका आती है।* • *2021 के लिए सीआईआई (317) को आधार वर्ष 2001 (100) से विभाजित करके एक संख्या प्राप्त की जाएगी। फिर इसे खरीद मूल्य (यानी ₹10 लाख) से गुणा किया जाएगा। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) का उपयोग करते हुए, अनुक्रमित लागत ₹31.7 लाख हो जाती है, जिससे कर योग्य लाभ घटकर ₹43.3 लाख रह जाता है।* • *पहले, समायोजित लाभ पर कर देयता की गणना 20% पर की जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹8.7 लाख का कर बनता था। नई प्रणाली के तहत, ₹65 लाख के पूरे लाभ पर 12.5% कर लगाया जाता है, जिससे ₹8.13 लाख की कर देयता बनती है।* • *इंडेक्सेशन हटाने से संपत्तियों पर उनकी वृद्धि दर और होल्डिंग अवधि के आधार पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे सभी संपत्तियों में समय के साथ ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि घर ₹75 लाख के बजाय ₹40 लाख में बिका, तो इंडेक्स्ड टैक्स देनदारी ₹1.66 लाख होगी, जबकि इंडेक्सेशन के बिना यह ₹3.75 लाख होगी।*